

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)

क्रमांक / अकादमिक / २०८० / २०२१ / १०४२

रीवा, दिनांक ५.८.२१

अधिसूचना

आदेशानुसार, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ की धारा २८ के अन्तर्गत विज्ञान रसायन अन्तर्गत सांख्यिकी के अध्ययन मण्डल का गटन निम्नलिखित रूप से किया जाता है। अधिनियम की धारा २८(4) के अन्तर्गत अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल की कार्यादधि इस अधिसूचना प्रसारण दिनांक से तीन वर्ष की होगी -

सांख्यिकी अध्ययन मण्डल

अधिनियम	२८(२) एक	१.	रिक्त
	२८(२) दो	१.	डॉ० एच०एन० गौतम, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, सांख्यिकीय विभाग, शास्त्री आदर्श विज्ञान महाविद्यालय, रीवा (म0प्र0)
		२.	डॉ० (श्रीमती) वीना शर्मा, प्राध्यापक, सांख्यिकीय विभाग, शास्त्री आदर्श विज्ञान महाविद्यालय, रीवा (म0प्र0)
	२८(२) तीन	१.	रिक्त
	२८(२) चार	१.	रिक्त
		२.	रिक्त
	२८(२) पाँच	१.	प्रो० एस०आर०जे० सिंह, प्राध्यापक, सांख्यिकीय विभाग, एग्रीकल्चर कॉलेज, सीहोर (म0प्र0)
		२.	प्रो० एस०एस० गौतम, प्राध्यापक, सांख्यिकीय विभाग, महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट सतना (म0प्र0)

अधिनियम २८(३) के अन्तर्गत डॉ० एच०एन० गौतम को सांख्यिकी अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नाम निर्देशित किया जाता है।

5.8.21
कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- कुलाधिपति के प्रमुख सचिव, राजभवन भोपाल (म0प्र0)
- आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल (म0प्र0)
- अध्ययन मण्डल के समस्त सदस्यगण।
- संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य।
- संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय।
- कुलसचिव, मध्यप्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय।
- निर्देशक, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमिक रविन्द्रनाथ ठाकुर मार्ग, भोपाल (म0प्र0)
- कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज संसायक

सहायक कुलसचिव (अकादमिक)